अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–प्र0–06 / विविध (कार्य0)–66 / 2009–5499(E)/ पटना, दिनांक 26/9/17

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **निविदा में भाग लेने से वंचित किये गये संवेदकों को विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित करने के संबंध में।**

प्रसंग :–
1. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल मोतिहारी के ज्ञापांक–1467 दि0–27.07.17
2. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल मोतिहारी के ज्ञापांक–1571 दि0–09.08.17
3. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल खगड़िया के ज्ञापांक–1047 दि0–21.8.17

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (1) के द्वारा सी0एम0बी0डी0 योजना अन्तर्गत ढाका–फुलवरिया पथ के कि0मी0 0 से 12 में उन्नयन कार्य (एकरारनाम सं0–28CMBD / 2013–14) में कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासिनता बरते जाने के कारण संवेदक M.S. Enterprises, 53वी सत्यन अपार्टमेन्ट, कवीरमण पथ, बोरिंग रोड, पटना को अगली निविदा में भाग लेने वंचित किया गया है।

प्रासंगिक पत्र (2) के द्वारा एस0एच0–74 हाजीपुर से अरेराज पथ के कि0मी0 84.300 से 123.600 (जगिरहॉ–पशुपति नाथ चौक) का आई0आर0क्यू0पी0 कार्य (एकरारनाम सं0–13SBD / 2014–15) कार्य में धीमी प्रगति एवं लापरवाही के कारण संवेदक R.P. Infra Project pvt. Ltd, दूसरी मंजील Enfinity Squar PCM, बस टर्मिनल, सिभोक रोड, पो0–सिलीगुडी, जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल को अगली निविदा में भाग लेने वंचित किया गया है।

प्रासंगिक पत्र (3) के द्वारा महेशखुंट–परवता–सुल्तानगंज घाट पथ के 8वें (अंश) से 9वे (अंश) कुल 1200 मीटर लम्बाई में Plane cement कंक्रीट कार्य की धीमी प्रगति के कारण संवेदक एस0के0 कन्सट्रक्शन, बेता रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा को अगली निविदा में भाग लेने वंचित किया गया है।

उक्त तीनो पत्रों की छायाप्रति विभागीय बेवसाईट पर प्रचारित करने हेतु संलग्न की जाती है।

अनु०:–यथोक्त।

1689 अनु0
03/10/17

विश्वासभाजन

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव
25.09.17

IT, Manager
Compliance
04/10/17

D:\A.V.S. FOLDER\SECTION-7 & 8\ARBIND RAM\VIVIDH LETTER.DOCX

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मोतिहारी

Phone no-06252240698
Mob. no.-9470001291
E-Mail-rcdmotihari@yahoo.in

पत्रांक–.............................. दिनांक–..............................

प्रेषक :– कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमंडल, मोतिहारी।

सेवा में,
एम0 एस0 इन्टर प्राईजेज
53 वी0 सत्यम अपार्टमेंट
कविरमन पथ बोरिंग रोड, पटना।

विषय :– अगली निविदा में भाग लेने से वंचित होने के संबंध में।
(विभागीय निबंधन सं0–

प्रसंग :– इस कार्यालय के पत्रांक–2478 दिनांक–31.12.16, पत्रांक–260 दिनांक–06.02.17, पत्रांक–1174 दिनांक–12.06.17 एवं पत्रांक–1394 दिनांक–18.07.17 एवं सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, चकया का पत्रांक–95 दिनांक–01.07.17 एवं 108 दिनांक–24.07.17

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि **CMBD** योजना अन्तर्गत ढ़ाका–फुलवरिया पथ के कि0मी0 0 से 12 में उन्नयन कार्य के समाप्ति तिथि 02.03.15 है जो आपके द्वारा सम्पादित किया गया है जिसका एकरारनामा सं0–28 **CMBD/2013-14**, एकरारनामा राशि 12,20,20,861.00 है तथा अनुरक्षण कार्य के तहत 5 वर्ष के लिए पथों का रख–रखाव किया जाना है। पथ का रख–रखाव नही होने के कारण पथ में कहीं–कहीं **Pot holes** हो गया है तथा पथ क्रस्ट एवं पथ पटरी को भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। आप भली भांति जानते है कि **CMBD** के प्रावधान अन्तर्गत **Construction** कार्य के अतिरिक्त **Maintenance** कार्य करना था जिसमें आपके द्वारा कार्य में कोई रूची नहीं ली गई है, तथा कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता भी बरती गई है। इस कार्यालय के पत्रांक–2478 दिनांक–31.12.16, पत्रांक–260 दिनांक–06.02.17, पत्रांक–1174 दिनांक–12.06.17 एवं पत्रांक–1394 दिनांक–18.07.17 द्वारा अनुरक्षण के तहत पथ का रख–रखाव बहाल रखने हेतु पत्र दिया गया तथा कारण पृच्छा की गई थी जिसमें आपके द्वारा कोई भी जबाब नही दिया गया है। यह **CMBD** के तहत एकरारनामा सं0–28 **CMBD/2013-14** का घोर उल्लघन है। प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपसे कई बार सेवा स्तर बहाल करने का अनुरोध किया गया, किन्तु आपके द्वारा पथ के रख–रखाव हेतु कोई कारवाई नही की गई। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा सम्पादित एकरारनामा सं0–28 **CMBD/2013-14** में आपकी कोई अभिरूचि नही है एवं एकरारनामा का महत्व का आपको आभास नही है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में एकरारनामा में आपको **Non responsive** मानते हुए **CMBD** प्रावधान के अनुरूप आपके विरूद्ध कारवाई की जाए। एकरारनामा के शर्त्तो का अवहेलना एवं शर्त्तो को न मानने के कारण आपके एकरारनामा को निलंबित/कालीसूची में डालने की कार्रवाई की जा सकती है। तत्काल Non